मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 16–74/2016/पी–2/31 भोपाल, दिनांक / /2016

प्रति,

1– श्री राजेश पटवा
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, खरगौन

2– श्री लक्ष्मण सोलंकी
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग, सेगांव

3– श्री सुरेन्द्र सिंह पवार
उपयंत्री
जल संसाधन उपसंभाग, सेगांव

4– श्री बलीराम पाटीदार
उपयंत्री
जल संसाधन उपसंभाग, सेगांव

द्वाराः– प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

विषयः–संयुक्त विभागीय जॉच विरूद्ध–श्री राजेश पटवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगौन एवं 03 अन्य।

आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–14 के अंतर्गत विभागीय जॉच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है। जिन अवचारों एवं कदाचारों के आधार पर यह कार्यवाही प्रस्तावित है उनका विवरण आरोप पत्र एवं अभिकथन पत्र में दिया गया है तथा जिन दस्तावेजों एवं साक्ष्य पर यह आरोप आधारित है उनका उल्लेख संलग्न अभिलेख सूची एवं गवाहों की सूची में दिया गया है।

2/– मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम–18 सहपठित नियम–14 अंतर्गत एतद् द्वारा यह आरोप पत्र, अभिकथन पत्र, अभिलेखों की सूची एवं गवाहों की सूची आपको भेजते हुए आपसे अपेक्षा है कि अधिरोपित आरोपों के विरूद्ध जो भी अभ्यावेदन या बचाव कथन देना चाहें उसे इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर शासन को प्रस्तुत करें।

यह भी सूचित करें कि :–

(अ) क्या आप स्वयं उपस्थित होकर कुछ निवेदन करना चाहते है।

(ब) क्या आप मौखिक जॉच कराना चाहते है।

(स) क्या आप अपनी ओर से साक्ष्य एवं अभिलेख आदि प्रस्तुत करना चाहते है। यदि हॉ तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।

3/– आपकी ओर से प्रतिवाद का लिखित अभिकथन समयावधि में प्राप्त न हो तो यह मानकर कि आपको अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

4/– कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती भेजें।

संलग्नः– 1. आरोप पत्र 2. अभिकथन पत्र
3. अभिलेखों की सूची 4. गवाहों की सूची

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव
म.प्र. शासन,जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 16–74/2016/पी–2/31 **भोपाल, दिनांक** 28/12/**2016**

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
2. संचालक, डॉटा सेंटर, जल संसाधन विभाग, भोपाल। कृपया आरोप पत्रादि विभाग की वेबसाईट पर को प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहे - आरोप पत्रादि (मूलत:)

उप सचिव
म.प्र. शासन,जल संसाधन विभाग

C:\Users\hcl\Documents\KHAN---Application.doc

म.प्र.शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

आरोप पत्र विरूद्व श्री सुरेन्द्र सिंह पवार,उपयंत्री, जल संसाधन उपसंभाग, सेगांव

जब आप दिनांक 10.02.2012 से सतत् उपयंत्री के पद पर **जल संसाधन उपसंभाग, सेगांव** के पद पर पदस्थ हैं, उक्त अवधि में आपके व्दारा खारक तालाब की नहरों के निर्माण में की गई अनियमितताओं हेतु आपके विरूद्व निम्नानुसार आरोप अधिरोपित किये जाते है :-

आरोप :-

जल संसाधन संभाग, खरगौन अंतर्गत खारक तालाब योजना की नहरों के निर्माण कार्य गुणवत्ताविहीन होने सबंधी शिकायत की जांच हेतु प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल व्दारा नियुक्त जांचकर्ता अधिकारी से कराई गई । जांचकर्ता अधिकारी व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त योजना की नहरों के निर्माण कार्य गुणवत्ताविहीन पाये गये । विस्तृत विवरण अभिकथन पत्रक में दर्शाया गया है ।

इस प्रकार आपके व्दारा पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न कर तथा कार्य का पर्यवेक्षण नहीं किये जाने से उक्त योजना का कार्य संपादन शासन हितों के विपरीत हुआ ।

आपका उक्त कृत्य म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों का उल्लंघन होकर म.प्र.कार्य विभाग नियमावली 1983 के पार्ट–2 भाग एक के एपेण्डिक्स 1.28 सहपठित नियम 1.129 के प्रावधानों एवं म.प्र. वित्तीय संहिता भाग 1 नियम 9 के विपरीत है ।

इस प्रकार आपने अपने आपको म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही का भागी बना लिया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

म.प्र.शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

अभिकथन पत्रक विरूद्व श्री सुरेन्द्र सिंह पवार, उपयंत्री, जल संसाधन उपसंभाग, सेगांव

जब आप दिनांक 10.02.212 से सतत उपयंत्री के पद पर **जल संसाधन उपसंभाग, सेगांव** के पद पर पदस्थ हैं, उक्त अवधि में आपके व्दारा खारक तालाब की नहरों के निर्माण में की गई अनियमितताओं हेतु आपके विरूद्व अधिरोपित आरोप का अभिकथन निम्नानुसार है :–

खारक तालाब की प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र कमांक एफ 22/3/2011–12/लघु/31/1444 भोपाल, दिनांक 23.08.2011 (रूपये 913.59 लाख) व्दारा प्राप्त हुई ।

खारक तालाब परियोजना की साध्यता स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल के पत्र कमांक एफ 22/9/9/04 भोपाल, दिनांक 11.03. 2011 एवं 14.03.2011 व्दारा प्राप्त हुई । (अनुमानित लागत रूपये 4659.00 लाख) ।

खारक तालाब की यूनिट 2 नहर निर्माण की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, खरगौन के पत्र पृ.क. 1193/डब्ल्यू/2013–14 खरगौन दिनांक 11.05.2014 व्दारा जारी हुई (रूपये 1096.30 लाख)।

खारक तालाब निर्माण का अनुबंध कमांक 3/2014–15 दिनांक 02.02.2015 मेसर्स श्रीराम कंस्ट्रक्शन कंपनी, ग्वालियर (प्राक्कलित राशि रूपये 339.03 लाख) एवं अनुबंधित राशि रूपये 419.79 लाख का अनुबंध कार्यपालन यंत्री खरगौन से हुआ । ठेकेदार को उक्त कार्य हेतु कार्यादेश कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगौन के पत्र कमांक 404/व.ले.लि./खरगौन दिनांक 02.02.2015 व्दारा किया गया ।

खारक तालाब नहर निर्माण कार्य का भुगतान निम्नानुसार किया गया :–

स.क.	रनिंग बिल कमांक	कार्यपालन यंत्री का नाम	व्हाउचर कमांक दिनांक	देयचक की राशि चेक के माध्यम से नेट	माप पुस्तिका का कमांक एवं पृष्ठ कमांक	माप चेक करने संबंधी विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम रनिंग	श्री राजेश पटवा	54/30.0515	Gross 3675792/- Net 3205613	MB No 512 Page No.02	12.03.15/पे.न. 3 30.5.15/पे.नं. 36
2	व्दितीय रनिंग		1/9.7.15	Gross 1045838/- Net 916245	MB No 512 Page No.10	31.5.15 पेज नं 37
3	तृतीय रनिंग		88/29.9.15	Gross 766562/- Net 677382	MB No 512 Page No.13	14.9.15 पेज नं. 63
4	चतुर्थ रनिंग		18/10.11.15	Gross 1397288/- Net 1189361	MB No 512 Page No.18	5.10.15,8.11.15 पेज नं. 80 एवं 92
5	पंचम रनिंग		28/16.11.15	Gross 1141909/- Net 1024287	MB No 512 Page No.19	18.12.15
6	छटवां रनिंग		75/28.12.15	Gross 1180588/- Net 1040981	MB No 512 Page No.23	12.1.16, 25.1.16 पेज नं 125, 129
7	सातवां रनिंग		08/8.2.16	Gross 500000/- Net 448494	MB No 512 Page No.28	-

आपके व्दारा कराये गये कार्य की शिकायत श्री विजय सिंह सोलंकी, मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र कमांक 186, भगवानपुरा, जिला खरगौन से प्राप्त हुई । शिकायत के साथ लगाये गये फोटोग्राफ संलग्न हैं । संलग्न फोटोग्राफ्स में नहर निर्माण कार्य की स्थिति बहुत खराब परिलक्षित होने के कारण कार्यालयीन आदेश

क्रमांक 33161023/34/उद/2016 दिनांक 01.08.2016 व्दारा शिकायत की जांच हेतु श्री रविन्द्र मार्तण्ड, सहायक यंत्री कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया एवं प्रतिवेदन योजना के 10 पासपोर्ट साईज कलर फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।

जांचकर्ता अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं फोटोग्राफ संलग्न हैं । प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार निम्नानुसार निष्कर्षित है :–

1. योजना की नहर की लाईनिंग की मोटाई स्वीकृत डिजाईन के अनुसार 6 से.मी. स्वीकृत थी जो नहर की आर.डी. 3300 मीटर पर 7 से.मी., आर.डी. 6060 मीटर पर 9 से.मी. एवं आर.डी. 6965 मीटर पर 10 से.मी. पाई गई ।
2. लाईनिंग हेतु स्वीकृत ड्राइंग अनुसार सीमेंट कांक्रीट एम–15 श्रेणी का स्वीकृत था जो आर.डी. 3300 मीटर पर एम–10, आर.डी. 6060 मीटर पर एम–10 एवं आर.डी. 6965 मीटर पर एम–15 पाया गया ।
3. नहर लाईनिंग कार्य में स्वीकृत ड्राइंग अनुसार सीएनएस की मोटाई 30 से.मी. के विरूद्ध आर.डी. 3300 मीटर पर 33 से.मी., आर.डी. 6060 मीटर पर 32 से.मी. एवं आर.डी. 6965 मीटर पर 31.5 से.मी. पाई गई ।
4. नहर लाईनिंग कार्य में अनेक पैनलों में होरिजेन्टल, वर्टिकल एवं इनक्लाइंट क्रेक पाये गये ।
5. निर्माणाधीन मुख्य नहर, कंटूर नहर है जिसके हेड रीच पर नहर लगभग 14–15 मीटर तक की गहराई पर निर्मित है, तथा सतह पर मुंह फाड ओपनिंग लगभग 25 से 30 से.मी. है । नहर की लगभग 70–80 प्रतिशत लंबाई कटिंग में है । कमाण्ड क्षेत्र में नहर के दांये तट नहर स्थित खेतों का वर्षा जल कैच वॉटर ड्रेन न बनने के कारण पूरे वेग से सीधे नहर में मिटटी के साथ गिरता है । जिससे दांये तट के स्लोप कटते हैं तथा लाईनिंग भी क्षतिग्रस्त हो रही है । उचित निकास न होने के कारण यही वर्षा जल आगे चलकर नहर के भराई वाले तट को तोडकर बाहर निकल आता है ।
6. मिट्टी के कार्य कर रही एजेंसी व्दारा मिटटी कटिंग में उचित स्लोप नहीं दिया गया है तथा नहर में जहां मिटटी भराई का कार्य किया गया है वहां पर मिटटी कुटाई कार्य ओएमसी पर नहीं किया गया है, जिससे वांछित स्ट्रेन्थ प्राप्त नहीं हो सकी ।

जांचकर्ता अधिकारी व्दारा नहर निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के उपरांत कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन 5/10 किया गया है जबकि गुणवत्ता परीक्षण परिणाम प्रचलित मापदंडों के अनुसार दर्शित हैं ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपके व्दारा पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुए निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण न किये जाने के कारण एवं गुणवत्ता परीक्षण परिणामों में कूट रचना किये जाने में सहभागिता करने के कारण निर्माण कार्य का संपादन शासन हितों के विपरीत हुआ ।

आपका उक्त कृत्य म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों का उल्लंघन होकर म.प्र.कार्य विभाग नियमावली 1983 के पार्ट–2 भाग एक के एपेण्डिक्स 1.28 सहपठित नियम 1.129 के प्रावधानों एवं म.प्र.वित्तीय संहिता भाग 1 नियम 9 के विपरीत है ।

इस प्रकार आपने अपने आपको म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही का भागी बना लिया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

C:/VIGILENCE/AHIRWAR/s.order

म.प्र.शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

अभिलेखों की सूची

1. खारक तालाब परियोजना की प्रशासकीय एवं निवेश निकासी की स्वीकृति म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल का पत्र कमांक एफ 22/03/2011 –12/लघु/31/1444 भोपाल, दिनांक 23.08.2011
2. खारक तालाब परियोजना की साध्यता स्वीकृति म.प्र.शासन, जल ससांधन विभाग, भोपाल का पत्र कमांक एफ 22/09/19/04 भोपाल, दिनांक 11.03.2011
3. खारक तालाब परियोजना की यूनिट 2 नहर निर्माण की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति । अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, खरगोन का पृ.क. 1193/डब्ल्यू/2013–14 खरगौन दिनांक 11.05.2014
4. खारक तालाब नहर निर्माण अनुबंध कमांक 03/2014–15 दिनांक 02.02.2015 निर्धारित प्रपत्र अ संलग्न मेसर्स श्रीराम कंस्ट्रक्शन कंपनी, ग्वालियर ।
5. खारक तालाब नहर निर्माण अनुबंध कमांक 03/2014–15 कार्यादेश कमांक 404/एसएसी दिनांक 02.02.2015 मेसर्स श्रीराम कंस्ट्रक्शन कंपनी, ग्वालियर ।
6. खारक तालाब नहर निर्माण कार्य के प्रमाणित व्हाउचर–निर्धारित प्रपत्र 'ब' :–

स.क.	रनिंग बिल कमांक	व्हाउचर कमांक दिनांक
1	प्रथम रनिंग	54/30.0515
2	व्दितीय रनिंग	1/9.7.15
3	तृतीय रनिंग	88/29.9.15
4	चतुर्थ रनिंग	18/10.11.15
5	पंचम रनिंग	28/16.11.15
6	छटवां रनिंग	75/28.12.15
7	सातवां रनिंग	08/8.2.16

7. माप पुस्तिा कमांक 511 एवं 512
8. खारक नहर निर्माण कार्य गुणवत्ता परिणाम दिनांक 22.05.2015 से दिनांक 24.02.2016 तक के 44 परिणाम निर्धारित प्रपत्र स में पृ.क. 1 से 9 तक एवं मटेरियल टेस्ट परिणाम पृ.क.1 से 55 तक
9. नहर लाईनिंग कार्य की गुणवत्ता जांच बावत् जांच, निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 08.08.2016 एवं दिनांक 09.08.2016 व्दारा श्री रविन्द्र मार्तण्ड, सहायक यंत्री, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल मय फोटोग्राफ के ।
10. मान. विधायक, भानपुरा से प्राप्त शिकायत एवं फोटोग्राफ ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

26/12/16

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

म.प्र.शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

गवाहों की सूची

1. श्री रविन्द्र मार्तण्ड, सहायक यंत्री (वृहद) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
2. श्री नितिन पराशर, उपयंत्री, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, सेगांव ।
3. श्री डी.के.मंडलोई, उपयंत्री, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, सेगांव ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस. जादौन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

C:/VIGILENCE/AHIRWAR/s order